संख्या 947/चौवालिस-2-65-88

प्रेषक,

श्री आर० रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रदेश के समस्त निगमों/उद्यमों
के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

लखनऊः दिनांकः 22 अगस्त, 1989

विषयः– वार्षिक लेखों की स्थिति को स्थाई एजेण्डा के रूप में प्रत्येक निदेशक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाना।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के वित्तीय प्रबन्ध पर प्रभावी नियंत्रण तथा भविष्य के लिए सुविचारित निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक है कि वार्षिक लेखे समय से पूर्ण किए जायं और निगम की भावी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए उनकी समीक्षा करने पर आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकें तथा समुचित रणनीति के आधार पर निगम के स्थिर विकास तथा शासन की विनियोजित पूंजी पर न्यूनतम दर से प्रतिलाभ प्राप्त किया जा सके। सुचिवारित वित्तीय निर्णय के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि निगम के वार्षिक लेखे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा-166/210 में निर्धारित व्यवस्थानुसार वित्तीय वर्ष समाप्त होने के उपरान्त विलम्बतम 6 माह के अन्दर पूर्ण किये जा सकें, किन्तु अधिकांश निगमों के वार्षिक लेखों के सामान्यतः 3-6 वर्ष से तथा कुछ निगमों के 10 वर्ष तक पिछड़े होने के फलस्वरूप तात्कालिक प्रबन्धकीय निर्णय न हो पाने एवं भौतिक तथा सामयिक सूचनाओं के अभाव में प्रबन्धकीय निर्णय की गुणवत्ता (क्वालिटी आफ डीसीजन) प्रभावित होती है तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

2. निगमों के वार्षिक लेखों के पिछड़ेपन की गम्भीर स्थिति पर मा० मुख्य मंत्री जी ने अप्रसन्नता व्यक्त की थी और तत्कालीन मुख्य सचिव ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1177/44-2-65/88, दिनांक 2 सितम्बर, 1988 द्वारा यह निदेश दिये गये थे कि लेखों की अद्यावधिक करने के लिए एक एक्शन प्लान बना कर प्रभावी कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा समीक्षा बैठकों में भी निरन्तर बल दिया गया है, किन्तु सतत् प्रयास एवं अनुसरण के बावजूद अधिकांश उद्यमों में वार्षिक लेखों को अद्यावधिक करने के परिप्रेक्ष्य में आशातीत प्रगति नहीं हुई है।

3. आप इस तथ्य से भी अवगत है कि आयकर अधिनियम में संशोधन कर धारा–44 ए, बी। अप्रैल, 1985 से सम्मिलित करने के फलस्वरूप ऐसे सभी उद्यम/कम्पनियां जिनकी कुल बिक्री अथवा टर्नओवर वर्ष में रू० 40 लाख है, वर्ष समाप्ति की तिथि से 9 (नौ) महीने के अन्दर प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक टैक्स आडिट पूर्ण कर आयकर विवरणी (रिर्टन) प्रस्तुत करने के उत्तरदायी हैं। टैक्स आडिट की कार्यवाही समय से पूर्ण न करने की स्थिति में आयकर अधिनियम 1961 की धारा–27 बी में बिक्री/टर्नओवर के ऊपर आधा प्रतिशत अथवा रू० 1.00 लाख तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। यहां पर यह भी संज्ञान में लाना समीचीन प्रतीत होता है कि आयकर विवरणी (टैक्स रिर्टन) समय से प्रस्तुत न करने के कारण भविष्य में लाभी की स्थिति में गत हानियों के समायोजन की सुविधा से भी निगम को वंचित होना पड़ेगा, जिससे अनावश्यक रूप से वित्तीय हानि तथा राज्य स्रोत प्रभावी होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि वार्षिक लेखों का सामयिक प्रबन्धकीय निर्णय, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करने के साथ आयकर की दृष्टि से भी समय से पूरा किया जाना अति आवश्यक है।

4. उद्यमों के वार्षिक लेखों के पिछड़ेपन की स्थिति की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह निदेश देने की अपेक्षा की गयी है कि वार्षिक लेखों को एक निश्चित समय में अद्यावधिक करने हेतु अनुलग्नक–1 में दिये गये रूप पत्र पर तत्काल एक ऐक्शन प्लान तैयार करा लिया जाये तथा वित्त एवं लेखा प्रभाग के प्रभारी को इसमें नियम समय सारणी के अनुसार कार्यपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जाये। वार्षिक लेखों को अद्यावधिक करने के लिए किये गये प्रयास, टैक्स आडिट आदि की अद्यावधिक स्थिति अनुलग्नक–2 में दिये गये रूप पत्र में दर्शाते हुए प्रत्येक निदेशक मण्डल की बैठक में स्थायी एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत की जाया करे ताकि यह देखा जा सके कि ऐक्शन–प्लान के अनुसार कार्यवाही की जा रही या नहीं। ऐक्शन प्लान की एक प्रति इस पत्र की प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रशासकीय विभाग के सचिव तथा महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को भेज दी जाये। उन्हें अनुलग्नक–2 में दिये गये रूप पत्र में सूचना भी प्रत्येक निदेशक मण्डल की बैठक के एजेण्डा के साथ प्रेषित की जाया करें।

भवदीय,
[आर० रमणी]
सचिव।

वार्षिक लेखों (ऐनुवल एकाउण्ट), आयकर सम्प्रेक्षण एवं विवरणी प्रस्तुत करने की अद्यतन स्थिति एवम् वार्षिक लेखों को अद्यतन करने की योजना।

निगम/उपक्रम का नाम

स्थिति दिनांक:

क्रमांक	विवरण	वर्ष	
		से	तक
		1989	198
1	2	3	4
1.	अवधि जब तक के वार्षिक लेखे (एनुवल एकाउण्ट) सांविधिक सम्प्रेक्षण के उपरान्त सामान्य सभा द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं?		
2.	किस अवधि तक के अनन्तिम लेखे (ड्राफ्ट ऐनुवल एकाउण्ट) पूर्ण कर निदेशक मण्डल में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किये जा चुके हैं?		
3.	किस अवधि तक के लिए सांविधिक सम्प्रेक्षक नियुक्त किये जा चुके हैं?		
	(1) क. अवधि जिसका सांविधिक सम्प्रेक्षण हो गया है।		
	ख. अवधि जिसका सम्प्रेक्षण महालेखाकार कर रहे हैं।		
	ग. अवधि जिसका महालेखाकर सम्प्रेक्षण कर चुके हैं किन्तु वार्षिक सभा में प्रस्तुत करना है।		
	(2) अवधि जिसका सम्प्रेक्षण प्रगति पर है?		
	(3) यदि सम्प्रेक्षण नियुक्त नहीं है तो किस अवधि के लिए नियुक्ति हेतु कम्पनी–ला–बोर्ड/सी०ए०जी० को लिखा गया है?		
	(4) कम्पनी ला बोर्ड/सी०ए०जी० से कब–कब सम्पर्क किया गया है?		
4.	(1) क्या निगम का वार्षिक व्यवसाय टैक्स आडिट की दृष्टि से रू० 40 लाख से अधिक है?		